न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/108/2018	25–06–2018	01–05–2019

01– रमशी पुत्र ग्यासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम नंगला चिरावड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0
अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर, राज0
रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 12.03.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 75/2018

उपस्थितः–

01–श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

वकील अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 12.03.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का ग्राम नंगला चिरावड़ा की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 990/1258 रकबा 1.10 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नंगला चिरावड़ा की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 990/1258 रकबा 1.10 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया गया है तथा अपीलांट सिविल कारावास में है। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 12.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 25.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 20.04.2019 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रामगढ की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2018 में भी अपीलांट का विवादित भूमि से अतिक्रमण छोड़ना बताया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास से शेष बची हुई सजा के दण्ड से मुक्त किया जाता है तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01–05–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)